



2026:AHC:29544

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट- सी संख्या-5165 सन् 2026

नीलम दुबे

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

..... प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता : विनोद कुमार पांडे

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. इस याचिका में पारित किए जाने वाले आदेश को देखते हुए, निजी प्रत्यर्थी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रत्यर्थी इस आदेश से असंतुष्ट हों, तो उन्हें आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।

3. याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 2 /नायब तहसीलदार प्रथम, तहसील भदोही जिला भदोही को मामला संख्या टी 202516670508784 (नीलम बनाम विजय शंकर) का शीघ्रता से निर्णय करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ यह याचिका प्रस्तुत की है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दाखिल किया गया एक प्रार्थना पत्र लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह अनिवार्य है कि ऐसा प्रार्थना पत्र दाखिल होने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निपटारा करना होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियम, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के अनुसार,

“(7). तहसीलदार पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर बिना विवाद वाले नामांतरण मामले का निर्णय करने का प्रयास करेगा तथा विवादित

2

नामांतरण मामले का निर्णय 90 दिनों की अवधि के भीतर करेगा तथा यदि कार्यवाही इस अवधि के भीतर समाप्त नहीं होती है तो इसका कारण दर्ज किया जाएगा।

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और साथ ही पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों के प्रकाश में, प्रत्यर्थी संख्या 2 /नायब तहसीलदार प्रथम, तहसील भदोही, जिला भदोही को निर्देश जारी किया जाता है कि वे उक्त प्रार्थना पत्र पर विचार करें और विधि के अनुसार, यथासंभव

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



शीघ्रता से और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, तथा अनावश्यक स्थगन दिए बिना, इसका निपटारा करें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

10 फरवरी, 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"